

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 06/11/2023

**विषय— संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण/
पुनरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17.09.2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 की कंडिका-4.(3)(i) में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण/पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान निम्नवत् है—

*पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण— संविदा के आधार पर नियोजित कर्मों को देय पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा जिसके सदस्य—सचिव संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न दो बिन्दुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी:—

(क) बाजार दर; एवं

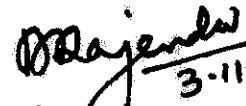


(ख) सरकार में उपलब्ध समान/समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल।”

2. उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है जिसके सदस्य सचिव संबंधित प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव सदस्य सचिव होते हैं। संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

3. अतः अनुरोध है कि यदि प्रशासी विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007-सहपठित-संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 के प्रावधानों के तहत संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण/पुनरीक्षण उपर्युक्त कंडिका-1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में नहीं किया गया हो तो इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

विश्वासभाजन,


3.11.2023

(डॉ० बी० समेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।